उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1078/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.227-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(281)-2023

लखनऊः दिनांकः 26 जुलाई, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की संस्तुतियों पर और इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या क0नि0-2-188/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(06)-2019 दिनांक-24-01-2019, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, वाक्यांश "पैराग्राफ 4.41" के स्थान पर, वाक्यांश "पैराग्राफ 4.40" रख दिया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण में, -

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) "विदेश व्यापार नीति" का तात्पर्य, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित एस ओ 1565 (ई) दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा अधिसूचित "विदेश व्यापार नीति, 2023" से है ।;"

(ii) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख)"हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स" का तात्पर्य, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2023 दिनांक 1 अप्रैल, 2023 असाधारण, भाग I, खंड 1 फा.सं. 01/75/171/00016/एएम-23/एफटीपी सेल, दिनांक 1 अप्रैल, 2023 द्वारा अधिसूचित "हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स" से है ।;"

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

26/7/23

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव